

FIRE SAFETY CERTIFICATE

File no. न-२०/अमुन्य (२५०)/२०२५

Date: 18-07-2025

Certified that the SHRI GURU NANAK DOON VALE SCHOOL, RACE COURSE, DEHRADUN at PLOT NO. C - 150 TO 168 comprised of GROUND FLOOR and FIRST FLOOR owned / occupied by SHRI GURU NANAK DOON VALE SCHOOL have compiled with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 26-04-2025 (date of inspection) in the presence of MR. JAGMEET SINGH, 88, GOBIND NAGAR, RACE COURSE (Name and Address of Manager of the school) and that the building premises is fit for occupancy up to class X / XII with effect from 29-04-2025 (Date) for a period of 03 (Three) years in accordance with the rule and subject to compliance of the specific conditions as appended :

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- As Attached.

Issued on 18-07-2025 at Dehra Dun

Signature with Seal :

अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

Name : KISHORE UPADHYAY

Designation : FIRE STATION OFFICER (DIST. DEHRADUN)

Name and Address of Department / Office : UTTRAKHAND FIRE AND
EMERGENCY SERVICES, GANDI ROAD,
DEHRADUN

To,

SHRI GURU NANAK DOON VALE SCHOOL,
RACE COURSE, DEHRADUN

H. Kaur
Principal
S. G. N. DOON VALE SCHOOL
Race Course, Dehra Dun
Tel: 0135-2727732

Jagmeet Singh
JAGMEET SINGH
Manager
Shri Guru Nanak Doon Vale School
Race Course, Dehradun



सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

Shri Guru Nanak Doon Vale School

Race Course Near Amreek Hall

देहरादून-देहरादून।

सन्दर्भ-

शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-44416233 दिनांक 20.04.2025 के द्वारा Shri Guru Nanak Doon Vale School, Race Course Near Amreek Hall, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 29.04.2025 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्दिष्ट किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-चोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Shri Guru Nanak Doon Vale School, Race Course Near Amreek Hall, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 29 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रसन्नत शैक्षणिक भवन (भूतल एवं प्रथम तल) में निर्मित है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/गैस्ट हाउस/होटल आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. प्रसन्नत भवन में तत्पलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भूमिगत पानी टैंक के पास 01 अदद फायर पम्प (450 एलपीएम. क्षमता) का प्राविधान 30 दिवस (01 माह) के भीतर करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
3. प्रसन्नत भवन में फायर एण्ड लाईफ सेपटी के दृष्टिगत फायर पम्प हाउस की इलेक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है, यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाउस की इलेक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑटोमोड में रखा जाए।
4. प्रसन्नत भवन के सैट बैक में स्थाई व अस्थाई निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेपटी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियाँ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप साथ रहेगी।
7. प्रसन्नत भवन में कार्यरत/अध्ययनरत सभी कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
8. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
9. प्रसन्नत भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
10. प्रसन्नत भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
11. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के अनुरूप व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
12. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कंप्यूटर आदि) में सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
13. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह रवाणी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संसति नहीं की जाएगी।

H. G. N.

Principal

S.G.N. DOON VALE SCHOOL

Race Course, Dehra Dun

Tel: 0135-2727732

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

देहरादून

JAGMEET SINGH

Manager

Shri Guru Nanak Doon Vale School

Race Course, Dehradun